न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; **(UP-6234)**
UPHP010043032022

Sessions Case/594/2022
State of U.P. Vs. Tarik
सत्र परीक्षण संख्या 594/2022
मु0अ0सं0 30/2020
सरकार बनाम तारिक आदि
अ0 धारा 147,148,326,452,504,506 भा0द0सं0,
थाना– बाबूगढ, जनपद– हापुड़।

दि0 23.01.2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। अभियोजन/वादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 19.10.2023 पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता , वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियोजन/वादिनी की ओर से गवाह साजिद के उन्मोचन के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दि0 19.10.2023 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उपरोक्त केस का गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सरावनी ,थाना– बाबूगढ, जनपद– हापुड़ उपरोक्त अभियुक्तगण के साथ रहता है तथा साथ में खाना खाता है । उपरोक्त गवाह साजिद ने मुलजिमान से साज कर लिया है तथा अभियुक्तगण से मिल गया है व पक्षद्रोही हो गया है । प्रार्थिनी/ वादिनी उपरोक्त केस में उक्त गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद की गवाही नहीं कराना चाहती है, बल्कि उक्त गवाह को उन्मोचित कराना चाहती है। अतः गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद को उपरोक्त मुकदमे में गवाही से उन्मोचित किया जाने की याचना की गयी है ।

जिसके विरूद्ध बचाव पक्ष/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दि0 24.11.2023 प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादिनी द्वारा प्रश्नगत प्रार्थनापत्र असत्यव गलत कथनो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है , जो विधि के पुष्ट सिद्धान्तो के विपरीत असल वाक्यात को छिपाते हुए प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थनापत्र वादिनी में उल्लेखित किसी भी कथन की पुष्टि साक्ष्य से नहीं की गयी है तथा प्रार्थनापत्र शपथपत्र से भी समर्थित नहीं है । उपरोक्त केस में वादिनी का बयान पी0डब्लू–1 के रूप में

न्यायालय में दि0 16.01.2023 को दर्ज किया गया । जिसमें वादिनी द्वारा अपने बयान में पृष्ठ सं0 13 की 12वी लाईन में वादिनी द्वारा मारपीट का मुख्य साक्षी बताते हुए बचाने का कथन किया गया है । प्रार्थनापत्र वादिनी में जो आरोप लगाया है , उसमें समय और स्थान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । वादिनी द्वारा स्वयं परिचित एवं अन्य गवाहान के बयान में भी प्रार्थनापत्र में उल्लेखित गवाह साजिद पुत्र खुरशैद को मुल्जिम से मिल जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया । वादिनी के गवाह पी0डब्लू–2 के बयान/ जिरह में साजिद से अच्छे सम्बन्ध होने का उल्लेख आया है । प्रार्थनापत्र वादिनी द्वारा विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र दिया नहीं जा सकता , बल्कि सम्बन्धित अभियोजन द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी गवाह को उन्मोचित किए जाने का प्राविधान है । उपरोक्त केस के मुल्जिमान के विरूद्ध झूठी एफ0आई0आर0 करते समय साजिद पुत्र खुरशैद का उल्लेख किया तथा फरवरी 2022 व प्रार्थनापत्र देने से पूर्व उक्त गवाह के सम्बन्ध में कोई शिकायत किसी थाने व पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई तथा अब बिना किसी साक्ष्य के उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थनापत्र वादिनी उक्त केस में देरी करने के उद्देश्य से दिया गया है, अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये ।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन/वादिनी की ओर से गवाह साजिद के उन्मोचन के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दि0 19.10.2023 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उपरोक्त केस का गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद अभियुक्तगण से मिल गया है व पक्षद्रोही हो गया है । प्रार्थिनी/ वादिनी उपरोक्त केस में उक्त गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद की गवाही नहीं कराना चाहती है, बल्कि उक्त गवाह को उन्मोचित कराना चाहती है। आपरधिक न्याय विधि का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि किसी मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन/ वादी पक्ष का होता है । इसके लिए किन साक्षीगण को न्यायालय में साक्ष्य हेतु परीक्षित कराना है अथवा नहीं कराना है, यह अभियोजन/ वादी पक्ष को देखना है । ऐसी दशा में यदि अभियोजन पक्ष/वादिनी उपरोक्त केस का गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद को प्रस्तुत करना नहीं चाहते है, तो उसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता । अतः अभियोजन/ वादी पक्ष की ओर से गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद के उन्मोचन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 19.10.2023 स्वीकार किए

जाने योग्य नहीं है ।

<u>आदेश</u>

अभियेाजन/ वादी पक्ष की ओर से गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद के उन्मोचन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 19.10.2023 स्वीकार किया जाता है। गवाह साजिद पुत्र खुर्शीद के उन्मोचन की अनुमति अभियेाजन/ वादी पक्ष को प्रदान की जाती है । तदनुसार आरोपपत्र पर पृष्ठांकन किया जाये ।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दि0 12.02.2024 को पेश हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।